संख्या: 1/2015/बी-1-502/दस-2015-एम-128/2014

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 23 फरवरी, 2015

विषय: वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेश को शासनादेश की वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से डाउनलोड करने के उपरान्त बजट आवंटन / बिल पारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-419/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13 दिनाँक 18 फरवरी, 2014 के क्रम में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1103/बीस-13-वि-2014-4 (विविध)/13टी.सी. दिनाँक 07 मई, 2014 द्वारा अन्य आदेशों के साथ-साथ विभागों द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेश को भी वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेश उक्त वेब साइट पर उपलब्ध होने पर बजट आवंटन करने वाले अधिकारियों द्वारा और ऐसी वित्तीय स्वीकृतियाँ जो सीधे जनपदों में भुगतान के लिये जारी की जाती हैं का मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा भुगतान से पूर्व, वेब साइट से डाउनलोड कर उसका मिलान किया जा सकेगा कि यह प्रश्नगत आदेश सम्बन्धित विभाग द्वारा ही जारी किया गया है।

अतः शासन द्वारा जिन वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखी जाती हैं, ऐसे मामलों में विभागाध्यक्षों के यहाँ तैनात वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा उक्त वेब साइट से वित्तीय स्वीकृतियों को डाउनलोड करने तथा उसका मिलान शासन से प्राप्त हार्ड कॉपी से करने के उपरान्त कोषागारों को आन लाइन बजट आवंटन किया जाये ।

जिन विभागों में सी.सी.एल. प्रणाली के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की जाती है, उन विभागों में तैनात वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों की सी.सी.एल. जारी करने से पूर्व उक्त वेब साइट से वित्तीय स्वीकृतियों को डाउनलोड करने के उपरान्त सी.सी.एल. जारी की जाये ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कतिपय विभाग जहाँ विभागाध्यक्ष नहीं हैं अथवा जहाँ शासन से सीधे जनपदों में भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैं और उसकी प्रति सम्बन्धित कोषागार को पृष्ठांकित की जाती है, ऐसे मामलों में सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति को उक्त वेब साइट से डाउनलोड कर तथा शासन से प्राप्त हार्ड कॉपी से मिलान करने के उपरान्त विभागों द्वारा प्रस्तुत बिलों को पारित किया जाये ।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या: 1/2015/बी-1-502(1)/दस-2015-एम-128/2014, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश ।
4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in